







## संपादक की कलन से

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थलूर को  
शामिल करने पर कांग्रेस को परहेज़ क्यों ?

देवननंद सिंह



हित की हो, और मेरी सेवाओं की

जरूरत हो, तो मैं कभी पछे नहीं

हूँगा। वह वक्तव्य एक अनुभवी

राजनेता और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय

प्रशासक की गरिमा के अनुरूप

था। थलूर ने दलगत राजनीति से

उपर उठकर वह स्पष्ट कर दिया

कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर वह

भारत की सरकार के साथ खड़े

हैं। बीजेपी विश्व अवसर को

भुगते में कोई क्षरण नहीं छोड़ती।

पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित

मालवीय ने कांग्रेस और राहुल

गांधी पर निशाना साथे हुए

सवाल उठाया कि वह, थलूर इतने

सक्षम और वैश्विक मंचों पर भारत

एकता की पारिक्षण भी है।

दौलारेशन सिंदूरांगी पृष्ठभूमि में

केंद्र सरकार द्वारा घोषित सात

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले आम

पाकिस्तान को चेताया कि

भारत अब परमाणु धमकी को

नहीं सहेगा। युद्ध विराम के

नियम के उल्लंघन का जो कृत्य

वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमेंता

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की

'जीरो टॉलरेंस' की नीति को स्पष्ट

करना है, विशेष रूप से संयुक्त

राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थानी और

अस्थायी सदस्य देशों तथा भारत

के प्रमुख रणनीतिक संझेदारों के

समक्ष।

हालांकि, वह कदम राष्ट्रीय हित

की दिशा में सरपानीय लगाता है,

लेकिन इसकी धोणांक के तुरंत बाद

उत्पन्न हुआ विवाद भारतीय

राजनीति के अंतर्विरोधों को

उजागर करता है, विशेषकर तब

जब कांग्रेस सासद शाशी थरसर का

एक प्रतिनिधिमंडल का जांबाज

नहीं देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की संकेतना

का मूल उद्देश्य यही होता है कि देश

के प्रमुख राजनीतिक दल

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक सुर भारत

की नीति और चिंता को

सामने रखें। लेकिन इसकी धोणांक

का अंतर्विरोधों को नीति और चिंता को

वापर करता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की संकेतना

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

का उद्देश्य यही होता है कि वे

आंतरिक और अंतर्विरोधों को

जानकी देता है। यहाँ जानकी

प्रतिनिधिमंडलों की धोणांक

# प्रत्येक मंगल एवं शुक्रवार को पोटका ब्लॉक मे लगेगा झामुमो का सहायता शिविर

राष्ट्र संवाद संवाददाता

झामुमो पोटका प्रखण्ड कमिटी  
की बैठक संपन्न

पोटका प्रखण्ड के तेतला स्थित इम्प्रेसियल रिसोर्ट में रविवार को झामुमो पोटका प्रखण्ड कमिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखण्ड सुधार सोरेन ने की, वहाँ मुख्य अधिकारी और संघरण में पोटका विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे। इस बैठक में प्रखण्ड के 34 पंचायत कमिटी के पदाधिकारियों के साथ-साथ झामुमो के केंद्रीय, जिला एवं



विधायक की अनुशंसित योजनाओं का हुआ निरीक्षण,  
निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने का निर्देश

राष्ट्र संवाद संवाददाता

कोल्हान/बंदगांव बंदगांव-  
चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में  
विधायक सुखराम उराव द्वारा  
अनुशंसित योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति का जायजा लेने हेतु विधायक सुखराम उराव द्वारा बनाये गए टीम ने रविवार को बंदगांव प्रखण्ड का दौरा किया गया। निरीक्षण दल में चक्रधरपुर प्रखण्ड अध्यक्ष सन्ती उराव, विधायक प्रतिनिधि पीरु हेम्प्रभा, नकटी पंचायत के मुख्या एवं बंदगांव विधायक प्रतिनिधि मिथून गणगार तथा झामुमो नेता प्रदाप महतो समिति थे।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हुड़ंगदा पंचायत के परसाबहाल और नकटी पंचायत के इद्वाँ



नदी में 5 स्पेन के पुलिया निर्माण तथा पोटगा गांव में सड़क योजना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ठेका कंपनी के कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रतिनिधियों को गुणवत्ता के भीतर साथ तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों ने भी इन योजनाओं के स्थानीय विधायक की उम्मीद जारी की। योजना के अनुशंसांस से यहाँ पुलिया का निर्माण स्वीकृत किया गया है। यह पुलिया समय पर निर्माण हो जाएगा। मौके पर सन्ती उराव ने जिसको लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थिति थी।

**माझी परगना महाल एवं जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम विद्यार्थी योजना का किया विरोध**

राष्ट्र संवाद संवाददाता

10 जून को उपायुक्त के सनक्ष  
जोरदार प्रदर्शन

जमशेदपुर। दिशोपां जाहेरथान, करनडीह, जमशेदपुर में माझी परगना महाल, जुगसलाई तोरेप के माझी बाबा, पारानिक, गोडेट एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रस्सर परगना बाबा दर्शक तंहां ने की। बैठक में मुख्य रूप से जमशेदपुर में नगर निगम विस्तार के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों को समाप्ति करने की जिला प्रशासन की प्रस्तावित योजना पर विरोध जताया गया। साथ ही अदिवासियों के पारंपरिक धर्म द्वारा खोरोंको मारना देने और जारखंड में ऐसा नियमावली को शीघ्र लागू करने की मांग पर चर्चा की गई। परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है। अदिवासी समाज पारंपरिक



स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत नगर से मृत्यु तक की सामाजिक गतिविधियों, पारंपरिक न्याय व्यवस्था, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार और सामूहिक संरक्षण-संवर्धन में विश्वास सख्त है। नगर निगम बनने से आदिवासियों पर असंतोष रखता है। बैठक में विधायक की अध्यक्षता रस्सर परगना बाबा ने विरोध करता है। विधायक की अधिकारी और संघरण-संवर्धन में विश्वास सख्त है। नगर निगम बनने से आदिवासियों पर अपनी जमीन या संसाधनों पर विवरण देते हैं और जमीन की अपनी जमीन या संसाधनों पर विवरण देते हैं। विधायक की अधिकारी ने कहा कि इसके लिए जारीदार अधिकारी की अनुमति देने और जारखंड में ऐसा नियमावली को शीघ्र लागू करने की मांग पर चर्चा की गई।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है।

परगना बाबा ने कहा कि भारतीय सीधारन के अनुच्छेद 243-उ के अनुसार, पांचांगें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निग





